न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – **170 / 2020**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

1. मु0 रामप्यारी पत्नी श्रीकिशन नायक निवासी मोतीनगर तह0 शाहपुरा
2. श्रीकिशन पिता लालु नायक निवासी मोतीनगर तह0 शाहपुरा

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामराज पिता मिश्रीलाल जाट निवासी मोतीनगर तह0 शाहपुरा
2. सुखदेव पिता हीरा जाट निवासी मोतीनगर तह0 शाहपुरा
3. गोपाल पिता धन्ना नायक निवासी मोतीनगर तह0 शाहपुरा

विपक्षीगण

उपस्थित :– **श्री अनिल कुमार शर्मा**
अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनाक– 05 / 01 / 2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 [illegible] विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीगण के ग्राम मोतीनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा में स्थित **आराजी नम्बर 520 रकबा 0.52 है0** कुल किता 1 [illegible] **0.52 है0** हैक्टेयर के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण [illegible] प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी [illegible] उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण [illegible] सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण [illegible] हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम मोतीनगर संवत 2076 से 2079** [illegible] अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार** दर्ज होकर [illegible] आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] जाकर मौजा **मोतीनगर** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात किता 1 **रकबा 0.52 है0 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी मे अगर मौके पर [illegible] कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हो [illegible] विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुए [illegible] पत्थरगढी **ऑफ सीजन में** किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया [illegible] पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 100/– रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05 / 01 / 2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.